नवोदय टाइम्स
SAT,10 MAY 2025
EDITION: GURGAON, PAGE NO. 1

मैडिकल कालेजों में मिलेगा नीट छात्रों को दाखिला

गुड़गांव, 9 मई (संजय): कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) के अंतर्गत बीमाकृत व्यक्ति के बच्चे नीट परीक्षा पास करते है तो उनका ईएसआईसी के मेडिकल कॉलेज/डेंटल कॉलेज/बी. एस. सी. नर्सिंग कोर्स हेतु शैक्षणिक सत्र-2025-26 में हेतु प्रवेश मिल सकेगा।

केंद्र सरकार की योजना के अंतर्गत इस योजना के तहत प्रवेश पाने के लिए अभ्यर्थियों को कार्डधारक के आश्रित होने (आईपी वार्ड सर्टिफिकेट) का प्रमाण-पत्र देना होगा। अधिकारियों की मानें तो बीमाकृत व्यक्ति के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय/उप क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा जारी किया जाएगा। आईपी वार्ड सर्टिफिकेट के लिए 18 मई-2025 तक ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया ईएसआईसी की वेबसाइट पर आरंभ हो चुकी है। बीमाकृत व्यक्ति अपने बच्चों के लिए एम.बी.बी.एस./बी.डी.एस. सीटों का लाभ उठाने के लिए ईएस आई अधिनियम-1948 की धारा (2) उपधारा (14)के तहत परिभाषित अनुसार संबंधित वर्ष के लिए नीट- यू.जी. के लिए अधिसूचना की तिथि से बीमाकृत व्यक्ति अर्हता रखने वाले ही वार्ड ऑफ आई.पी. सर्टिफिकेट के लिए आवेदन करने के योग्य होंगे। इस बारे में ईएसआईसी के उप क्षेत्रीय कार्यालय के संयुक्त निदेशक (प्रभारी) सुनील यादव ने बताया जिन बीमाकृत व्यक्ति के बच्चों की आयु 21 वर्ष तक है। अगर उसने नीट परीक्षा पास की है उन्हे वार्ड ऑफ आईपी सर्टिफिकेट के आधार पर उनका एडमिशन ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज/ डेंटल कॉलेज/ बीएससी नर्सिंग कोर्स में आईपी कोटा के तहत आरक्षित सीट पर होगा। इन सीटों पर प्रवेश पाने वाले छात्रों को न्यूनतम वार्षिक शुल्क जमा करवाना होगा।

सुनील यादव
संयुक्त निदेशक

सुनियल यादव ने बताया ईएसआईसी चिकित्सा शिक्षण संस्थानों में स्नातक एमबीबीएस/ बी.डी.एस./ बी.एस.सी. पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए अनुमोदित नीति व प्रक्रिया में अखिल भारतीय कोटा व राज्य सरकार कोटा के आबंटन के बाद बीमाकृत व्यक्तियों के बच्चों के लिए आवंटित सीटें प्रदान की गई है।

अब ईएसआईसी बीमाकृत व्यक्तियों के बच्चे भी बन सकेंगे डॉक्टर

- आईपी कोटा के तहत अलग से सीटें आरक्षित
- आईपी सर्टिफिकेट के लिए 18 तक होंगे ऑनलाइन आवेदन

देव चौहान, देश रोजाना

गुरुग्राम। यदि आप कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अंतर्गत बीमाकृत व्यक्ति है और आपके बच्चे नीट परीक्षा पास करते है तो उनका ईएसआईसी के मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज, बी.एस.सी. नर्सिंग कोर्स हेतु शैक्षणिक सत्र 2025-26 हेतु प्रवेश आसान होगा।

केंद्र सरकार की इस योजना के तहत प्रवेश पाने के लिए अभ्यर्थियों को कार्डधारक के आश्रित होने (आईपी वार्ड सर्टिफिकेट) का प्रमाण-पत्र देना होगा। जो कि बीमाकृत व्यक्ति के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय अथवा उप क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा जारी किया जाएगा। आईपी वार्ड सर्टिफिकेट के लिए आगामी 18 मई तक ऑनलाइन आवेदन करना होगा।

आवेदन की प्रक्रिया ईएसआईसी की वेबसाइट ईएसआईसी.जीओवी.आईएन पर आरंभ हो चुकी है। बीमाकृत व्यक्ति अपने बच्चों के लिए एम.बी.बी.एस. या बी.डी.एस. सीटों का लाभ उठाने के लिए ईएसआई अधिनियम, 1948 की धारा (2) उपधारा (14) के तहत परिभाषित अनुसार संबंधित वर्ष के लिए नीट-यू.जी. के लिए अधिसूचना की तिथि से बीमाकृत व्यक्ति अर्हता रखने वाले ही वार्ड ऑफ आई. पी. सर्टिफिकेट के लिए आवेदन करने के योग्य होंगे।

ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज व अस्पताल फरीदाबाद, ईएसआईसी चिकित्सा शिक्षण संस्थानों में स्नातक एम.बी.बी.एस., बी.डी.एस., बी.एस.सी. पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए अनुमोदित नीति और प्रक्रिया में हअखिल भारतीय कोटाह और हराज्य सरकार कोटाह के आवंटन के बाद बीमाकृत व्यक्तियों के बच्चों के लिए आवंटित सीटें प्रदान की गई है। इस बारे में विस्तृत जानकारी ईएसआईसी की अधिकारिक वेबसाइट या ईएसआईसी के नजदीकि क्षेत्रीय या उप-क्षेत्रीय कार्यालय शाखा से प्राप्त की जा सकती है।

"बीमाकृत व्यक्ति जिनके बच्चों की आयु 21 वर्ष है और नीट परीक्षा पास की है। उनका एडमिशन ईएसआईसी के मेडिकल कॉलेज या डेंटल कॉलेज अथवा बीएससी नर्सिंग कोर्स में आईपी कोटा के तहत आरक्षित सीट पर होगा। इन सीटों पर प्रवेश पाने वाले छात्रों को न्यूनतम वार्षिक शुल्क जमा करवाना होगा।"

सुनील यादव, संयुक्त निदेशक
उप-क्षेत्रीय कार्यालय गुरुग्राम।

राजकीय आईटीआई मोजाबाद में

विधायक ने दोणाचार्य कॉलेज में

अब ईएसआईसी बीमाकृत व्यक्ति के बच्चे भी बन सकेंगे डॉक्टर

- **आईपी कोटा के तहत अलग से सीटें आरक्षित।**
- **आईपी सर्टिफिकेट के लिए 18 तक होंगे ऑनलाइन आवेदन।**

कुमार प्रवेश, गुड़गांव टुडे

गुरुग्राम। यदि आप कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अंतर्गत बीमाकृत व्यक्ति है और आपके बच्चे नीट परीक्षा पास करते है तो उनका ईएसआईसी के मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज, बी.एस.सी. नर्सिंग कोर्स हेतु शैक्षणिक सत्र 2025-26 हेतु प्रवेश आसान होगा। केंद्र सरकार की इस योजना के तहत प्रवेश पाने के लिए अभ्यर्थियों को कार्डधारक के आश्रित होने (आईपी वार्ड सर्टिफिकेट) का प्रमाण-पत्र देना होगा। जो कि बीमाकृत व्यक्ति के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय अथवा उप क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा जारी किया जाएगा। आईपी वार्ड सर्टिफिकेट के लिए आगामी 18 मई तक ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन की प्रक्रिया ईएसआईसी की वेबसाइट ईएसआईसी.जीओवी.आईएन पर आरंभ हो चुकी है। बीमाकृत व्यक्ति अपने बच्चों के लिए एम.बी.बी.एस. या बी.डी.एस. सीटों का लाभ उठाने के लिए ईएसआई अधिनियम, 1948 की धारा (2) उपधारा (14) के तहत परिभाषित अनुसार संबंधित वर्ष के लिए नीट-यू.जी. के लिए अधिसूचना की तिथि से बीमाकृत व्यक्ति अर्हता रखने वाले ही वार्ड ऑफ आई. पी. सर्टिफिकेट के लिए आवेदन करने के योग्य होंगे। ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज व अस्पताल फरीदाबाद, ईएसआईसी चिकित्सा शिक्षण संस्थानों में स्नातक एम.बी.बी.एस., बी.डी.एस., बी.एस.सी. पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए अनुमोदित नीति और प्रक्रिया में 'अखिल भारतीय कोटा' और 'राज्य सरकार कोटा' के आवंटन के बाद बीमाकृत व्यक्तियों के बच्चों के लिए आवंटित सीटें प्रदान की गई है। इस बारे में विस्तृत जानकारी ईएसआईसी की अधिकारिक वेबसाइट या ईएसआईसी के नजदीकि क्षेत्रीय या उप-क्षेत्रीय कार्यालय शाखा से प्राप्त की जा सकती है।

सुनील यादव।

''बीमाकृत व्यक्ति जिनके बच्चों की आयु 21 वर्ष है और नीट परीक्षा पास की है। उनका एडमिशन ईएसआईसी के मेडिकल कॉलेज या डेंटल कॉलेज अथवा बीएससी नर्सिंग कोर्स में आईपी कोटा के तहत आरक्षित सीट पर होगा। इन सीटों पर प्रवेश पाने वाले छात्रों को न्यूनतम वार्षिक शुल्क जमा करवाना होगा।''

-सुनील यादव, संयुक्त निदेशक उप-क्षेत्रीय कार्यालय गुरुग्राम।